पूर्व मध्य रेलवे

कार्यालय
महाप्रबंधक (कार्मिक)
हाजीपुर

अधिसूचना

सं: ईसीआर/एचआरडी/राज./254/एएमएम/30प्रतिशत/2019 **दिनांक–05.04.2019**

महाप्रबंधक के सचिवः महाप्रबंधक के कृपया सूचनार्थ
अपर महाप्रबंधक के निजी सचिव–I : अपर महाप्रबंधक के कृपया सूचनार्थ
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के सचिवः प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के कृपया सूचनार्थ
वरि. उप महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर
प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/पूमरे/हाजीपुर
महाप्रबंधक (कार्मिक) कोर इलाहाबाद
सभी प्रधान विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/पूमरे/हाजीपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/उ. व द./पूमरे/महेन्द्रुघाट/पटना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आरडब्लुपी/बेला, जीइएलएफ/डीएमएच
मुख्य कारखाना प्रबंधक/पी.डी./पूमरे/ मुगलसराय एवं मुख्य कारखाना प्रबंधक/ डब्ल्यु एस/समस्तीपुर
मुख्य कारखाना प्रबंधक/सीआरडब्ल्यु हरनौत
मं.रे.प्र./पूमरे–सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय एवं धनबाद
वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी/पूमरे–सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय एवं धनबाद
वरि. मंडल सामग्री प्रबंधक/पूमरे–सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय एवं धनबाद
उपमुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो/पूमरे/समस्तीपुर
प्राचार्य/क्षे0रे0प्र0सं0/भूली व मुजफ्फरपुर
उप मु0 कार्मिक अधिकारी/एचआरडी/पूमरे/हाजीपुर
वरि. कार्मिक अधिकारी/पूमरे/ एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर– नेट पर अपलोड करने हेतू।
अध्यक्ष/रेल भर्ती बोर्ड/ पटना एवं मुजफ्फरपुर
उप मु. सा. प्रबंधक (डिपो) गढहरा, उप मु0 सा0 प्र./निर्माण/महेन्द्रुघाट/पटना
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/निर्माण/महेन्द्रुघाट/पटना
सीपीडी/आर.ई./दानापुर, वरि. कार्मिक अधि./डब्ल्यु एस/ समस्तीपुर
महासचिव/ईसीआरकेयू.
पूमरे के सभी अतिरिक्त मंडल ईकाइयां

विषयः 30% कोटा के तहत सहायक सामग्री प्रबंधक (ग्रुप–बी) 6ठे वे. मा. में पे बैण्ड रू 9300–34800/– (पी.बी.–2) ग्रेड पे रू 4800/– एव 7वें के वे0 मा0 के अनुसार लेवल–8 के पद के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा

महाप्रबंधक के अनुमोदन से पूर्व मध्य रेलवे पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 30% कोटा के विरूद्ध सहायक सामग्री प्रबंधक (ग्रुप–बी) के पद हेतु दो रिक्तियों (अना.–1, अ0जा0–1 एवं अ0ज0जा0–शून्य) के चयन एवं पैनल निर्माण हेतु एक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एल0डी0सी0ई0) आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण दर्शाया गया हैः–

चयन	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	कट आफ डेट
सहायक सामग्री प्रबंधक (ग्रुप बी 30 प्रतिशत)	01	01	00	02	01.07.2016

1. लिखित व मौखिक परीक्षा का अनंतिम कार्यक्रमः इसको उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

2. **पात्रताः 01.07.2016 को**

(ए) भंडार विभाग में कार्यरत सभी स्थायी ग्रुप सी कर्मचारी के साथ दूसरी रेलों में प्रति नियुक्ति पर कार्यरत वैसे कर्मचारी जिनका ग्रहणाधिकार एवं वरीयता (लियन) पूर्व मध्य रेल में जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 (6ठे के.वे.आ. के अनुसार रू0 4200 ग्रेड पे सहित पे.बैण्ड 9300–34800, पी. बी.–2) एवं अधिक (समतुल्य संशोधन पूर्व ग्रेडों में की गई निरंतर सेवा सहित) दिनांक 01.07. 2016 को न्यूनतम 05 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एल.डी.सी.ई) में चयन केलिए आवेदन करने के पात्र हैं।

30 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की कट ऑफ तिथि 70 प्रतिशत कोटा के पूर्व के आंशिक चयन के समान है।

(बी) रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 ई(जी.पी.)2005/2/74 दिनांक 13.03.08 (आर.बी.ई. 40/08) के अनुसार यदि कोई कर्मचारी स्वयं के अनुरोध पर समान श्रेणी के पद पर स्थानांतरित किया जाता है और नये यूनिट में उसे निम्नतम वरीयता दी जाती है तो जहां कहीं न्यूनतम सेवा काल एक शर्त के रूप में विहित है वहां उनकी पूर्व के यूनिट में की गयी सेवा की गणना उनकी पात्रता निर्धारित करने के लिए की जाए बशर्ते की इस प्रकार गणना की गई अनुमत सेवा काल उनके नई यूनिट में उनके आसन्न वरिष्ठ के सेवा काल से अधिक नहीं हो।

(सी) दूसरे रेलवे/यूनिट से स्वयं के अनुरोध/पारस्परिक स्थानांतरण पर आये हुये और इस रेलवे/नई यूनिट में कट ऑफ तिथि यथा 01.07.2016 के पश्चात योगदान करने वाले अभ्यर्थी चयन में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे।

3. योग्य अभ्यर्थी जो पात्रता की उक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं वे उचित माध्यम से अपना आवेदन संबंधित कार्मिक कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं जहां उनकी वरीयता एवं लियन है।

4. निर्माण/परियोजना संगठन में कार्यरत अथवा प्रशिक्षणाधीन अथवा संवर्ग–वाह्य पद पर कार्यरत पात्र कर्मचारी जो उपर्युक्त सीमित विभागीय पात्रता परीक्षा (एल.डी.सी.ई) में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं वे भी जहां उनका लियन अथवा वरिष्ठता है के संबंधित कार्मिक शाखा के माध्यम से अपना अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। संबंधित मंडल/यूनिट के कार्मिक/नियंत्रक अधिकारी वैसे कर्मचारी को अधिसूचना की सूचना दें जो उनके मंडल/यूनिट के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

5. जब कोई कर्मचारी संवर्ग–वाह्य पद धारित करता है तो ग्रेड और नियमित आधार पर प्रवेश की तिथि सहित नियमित संवर्ग में उसके पद का विवरण प्रस्तुत किया जाए। इसे सर्व संबंधितों के भी संज्ञान में लाया जाये। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी संबंधित पात्र कर्मचारियों के बीच इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है। मंडल यूनिट के कार्मिक/शाखा अधिकारियों कि यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अधिसूचना सही समय पर सभी पात्र कर्मचारियों को मिल जाए।

6. सभी वालंटियर जो पात्रता की उक्त शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य अभ्यर्थियों की संख्या में किसी प्रकार के प्रतिबंध के बिना उक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

7. उपर्युक्त चयन लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा एवं सेवा अभिलेख में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर आधारित होगी। वैसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है और भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकीय रूप से योग्य पाये गये अभ्यर्थी को ही मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। पैनल में अभ्यर्थियों का क्रम स्थान लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और सेवा अभिलेख में उनके प्रदर्शन के आधार पर रेलवे बोर्ड के वर्तमान अनुदेशों के अनुरूप होगा।

8. **पाठ्यक्रम :**

(i) स.सा.प्र (ग्रुप–बी) 30 प्रतिशत के पद के चयन की लिखित परीक्षा में प्रत्येक पेपर में अधिकतम अंक 150 और अर्हक अंक 90 सहित दो पेपर होंगे। 150 अंक में से व्यावसायिक विषय के 100 अंक होंगे। रेलवे बोर्ड के पत्र सं. हिंदी–2010/आ.एल–1/2014 दिनांक 14.

12.2016 के अनुसार व्यावसायिक विषय में कुल 150 अंकों के पेपर–I में से 15 अंक राजभाषा नीति और नियम विषय के होंगे जिनका उत्तर देना अनिवार्य नहीं होगा।

(ii) पूर्णांक और अर्हक अंक नीचे दर्शाये गये हैं:–

पेपर	विषय	अधिकतम अंक	अर्हक अंक	अवधि
पेपर– I	व्यावसायिक विषय, सामान्य ज्ञान एवं राजभाषा	150*	90	03 घंटे
पेपर– II	व्यावसायिक विषय, स्थापना एवं वित्तीय नियम	150*	90	03 घंटे

(चूंकि स.सा.प्र. एक गैर संरक्षा पद है, आरक्षित समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार छूट स्वीकार्य होगी।)

(iii)

शीर्ष	अधिकतम अंक	अर्हक अंक
सेवा अभिलेख	25	30 सेवा अभिलेख के लिए न्यूनतम 15 अंक
मौखिक परीक्षा	25	

9. प्रश्न पत्र द्विभाषी यथा हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार इन भाषाओं में से किसी एक में उत्तर देंगे। अभ्यर्थी आवेदन फार्मेट में दिए गए स्थान में अपनी भाषा की पसंद का स्पष्ट उल्लेख करेंगे।

10. पात्र अभ्यर्थियों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए रेलवे बोर्ड के आर.बी.ई. सं.ई(जी.पी.)2018/211 दिनांक 22.05.2018 द्वारा परिपत्रित स.सा.प्र. (ग्रुप–बी) के व्यावसायिक विषय और वित्तीय नियम के संबंध में पाठ्यक्रम की एक प्रति परिशिष्ट–ए के रूप में संलग्न है।

11. (ए) नियंत्रक अधिकारी अपने नियंत्रणाधीन पात्र कर्मचारियों के बीच इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार करें और अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रोफार्मा (परिशिष्ट–बी के रूप में संलग्न नमूना प्रति) में दिए गए आवेदनों को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों द्वारा अपने नियंत्रक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 08.04.2019 है।

(बी) किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि और भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए भरे गए आवेदन को सेवा अभिलेख के साथ समुचित संवीक्षा संबंधित कार्मिक शाखा क्षरा की जाए। आवेदन को नियंत्रक अधिकारी द्वारा आधिकारिक मुहर सहित हस्ताक्षरित किया जाए और उसपर संबंधित कार्मिक शाखा अधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर भी होना चाहिए। नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से नियंत्रक अधिकारी/कार्मिक शाखा अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए सभी आवेदनों को एकत्रित रूप में इस प्रकार भेजा जाए ताकि वे दिनांक 12.04.2019 को अथवा पहले उपमुकाधि/राजपत्रित/पूमरे/हाजीपुर के निजी सचिव को प्राप्त हो जाएं। दिनांक 12.04.2019 के पश्चात अग्रेसित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया यह नोट करें कि विहित प्रोफार्मा से इतर आवेदन अथवा नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर और कार्मिक शाखा अधिकारी के बिना प्रतिहस्ताक्षतिरत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

वालंटियरों द्वारा प्रस्तुत सेवा विवरण और संबंधित प्राधिकारी द्वारा क्रम में प्रमाणित किया जाना गलत पाये जाने पर वालंटियरों की उम्मीदवारी किसी भी चरण में निरस्त कर दी जाएगी तथा उनके विरूद्ध उपयुक्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

12. संबंधित कार्मिक अधिकारियों/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाने पर की जाने वाली कार्रवाही :–

(ए) कार्मिक अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी द्वारा सेवा अभिलेखों व अन्य संगत अभिलेखों सहित आवेदनों के सभी विवरणों की सत्यता की जांच की जाएगी तथा आवेदन के प्रत्येक मद की सत्यता को अभिप्रमाणित किया जाएगा। बिना ऐसे प्रमाणीकरण के आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इन्हें अभिप्रमाणित/सत्यापित करने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध असत्य अथवा अपूर्ण प्रमाणीकरण के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर व तिथि

सहित विवरणों की जांच एवं सत्यापन करने के पश्चात कार्मिक अधिकारी/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी को प्रत्येक आवेदन पर "जांचा व सत्यापित किया" अनिवार्य रू॰ से लिखना चाहिए (प्रमाणीकरण की तिथि आवेदन पर अनिवार्य रू॰ से लिखा जाए)।

(बी) यदि कार्मिक/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी प्रमाणीकरण के पश्चात तिथि अंकित नहीं करते अथवा विवरणों की जांच व सत्यापन किए बिना केवल आवेदन को अग्रसारित करते हैं तो मामले को प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अथवा संबंधित प्रधान विभागाध्यक्ष के ध्यान में लाया जाएगा ताकि उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

(सी) कृपया यह नोट किया जाए कि अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी आवेदन पर विचार करने के लिए नियंत्रक अधिकारियों/इकाइयों के प्रमुखों को कोई विवेकाधिकार नहीं है। केवल पात्र कर्मचारियों के आवेदन उसके अन्य संगत विवरणों की जांचोपरांत अग्रसारित किए जाएं तथा जो अयोग्य हैं, उनके आवेदन अग्रसारित नहीं किए जाएं।

(डी) दिनांक 12.04.2019 तक उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राज/मुख्यालय/हाजीपुर को संबोधित निम्नलिखित प्रोफार्मा में विवरण प्रस्तुत करते हुए कार्मिक अधिकारी/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी को एक कवरिंग पत्र के अन्तर्गत एक साथ एक गुच्छ में संवीक्षित एवं जांचे गए आवेदनों को ही अग्रसारित करना चाहिए जिसमें अग्रसारित किए गए आवेदनों की कुल संख्या निर्दिष्ट हों। विवरणों को एम एस एक्सल फार्मेट के सॉफ्ट कॉपी में भी भेजे जाएं। जिन आवेदकों के आवेदन अस्वीकृत किए गए हों, उन्हें व्यक्तिगत रू॰ से उसके संबंध में कारण देते हुए सूचित किए जाएं।

1	2	3	4	5	6	7	8		9			
क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम एवं पदस्थापना स्थल	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	अधीन कार्यरत	समुदाय (अना. /अजा/ अजजा)	ग्रेड वेतन में नियमित पदोन्नति की तिथि		01.07.2016 को भंडार विभाग में ग्रेड पे 4200/– एवं इससे अधिक कुल सेवा			
							ग्रेड पे. 4200/	ग्रेड पे 4600/	को	वर्ष	माह	दिन
									01.07. 16			

13. <u>अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवारों का प्रशिक्षण :</u>

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 इ (एमपीपी) 96/3/23 दिनांक 21.07.2000 के अनुसार अजा./अजजा उम्मीदवारों को 03 सप्ताह (21 कार्यदिनस) के लिए चयनपूर्व प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है। प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर द्वारा अजा/अजजा से संबंधित सभी उम्मीदवारों के लिए एक चयन–पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। यदि कोई अजा/अजजा उम्मीदवार चयन–पूर्व प्रशिक्षण में जाने से इनकार करता है, तो उससे एक लिखित शपथ लेकर उसे सीधे प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर को भेजा जाना चाहिए। नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रणाधीन अजा/अजजा उम्मीदवार को पूर्व चयन प्रशिक्षण के लिए समय से विरमित कर दिए गए हैं। अजा/अजजा उम्मीदवारों को भी सूचित किया जाता है किवे अपने हित में उक्त प्रशिक्षण लेने हेतु उन्हें विरमित किए जाने के लिए अपने नियंत्रक अधिकारी पर दबाव डालें। चयन पूर्व प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात महाप्रबंधक (कार्मिक)/पूमरे/हाजीपुर द्वारा इस आशय का किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी कोचिंग की समाप्ति के पश्चात चयन पूर्व कोचिंग का प्रभारी प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात तीन दिनों के अंदर अजा/अजजा प्रतिभागियों के उपस्थिति पत्रक सहित सभी सहायक दस्तावेजों/कागज पत्रों के साथ एक लिखित रिपोर्ट उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (राज0) को अभिलेख एवं अगली कार्रवाई हेतु देगा।

14. पात्र कर्मचारियों को यह भी सूचित किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में अनुपस्थित उम्मीदवारों के लिए कोई अनुपस्थिति–लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। नियमानुसार सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में अनुपस्थिति परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।

15. नियंत्रक/प्राधिकृत अधिकारी विरमन पत्र/पहचान पर्ची पर उम्मीदवार के नमूना–हस्ताक्षर को विधिवत अभिप्रमाणित करते हुए प्रत्येक उम्मीदवार को विरमन पत्र/पहचान पर्ची जारी करना

सुनिश्चित करें। बिना उचित विरमन पत्र/पहचान पर्ची के उम्मीदवारों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. लिखित परीक्षा के परिणाम जारी होने के तुरंत पश्चात मौखिक परीक्षा हेतु अहर्य घोषित कर्मचारियों के संबंध में उनके सेवा अभिलेखों एवं पिछले 05 वर्षों के एसीआर/एपीएआर को यथासंभव विशेष संदेशवाहक के माध्यम से उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राज/पूमरे/हाजीपुर को भेजा जाना संबंधित कार्मिक शाखा अधिकारी एवं नियंत्रक अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

17. रेलवे बोर्ड द्वारा ग्रुप–'सी' से ग्रुप–'बी' में पदोन्नति संबंधी अनुदेश एवं नियमों को संचालित करने वाले मुख्य परिपत्र सं0– 68 जारी कर दिए गए हैं। उक्त मुख्य परिपत्र रेलवे बोर्ड .... स्थापना ...... इ (जीपी) मुख्य परिपत्र के वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है। विभाग/मंडल/इकाई द्वारा मुख्य परिपत्र के मद–15 में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

18. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इस कार्यालय को सूचित करते हुए विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उन्हें मंडल/अतिरिक्त मंडल स्तर पर अस्वीकृत करते हुए उनका निपटारा किया जाना चाहिए।

उक्त अधिसूचना संबंधी किसी त्रुटि या अन्य मामले में अंग्रेजी माध्यम में जारी की गई अधिसूचना दिनांक 11.03.2019 ही मान्य होगी।

कृपया पावती दें।

संलग्नक :–

(i) प्रोफार्मा (अनुलग्नक–ए)

(ii) प्रोफार्मा (अनुलग्नक –बी)

(दिलीप पासवान)
वकाधि/राज.
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)